करेंट अफेयर्स

उत्तराखंड

(संग्रह)

अगस्त
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड 3

- उत्तरकाशी ज़िले में आकस्मिक बाढ़....................3
- उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 4
- ऑपरेशन कालनेमि....................5

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उत्तराखंड

उत्तरकाशी ज़िले में आकस्मिक बाढ़

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में भारी वर्षा के कारण **खीर गंगा नदी** में आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने व्यापक तबाही मचाई है।

- समुद्र तल से 8,600 फीट की ऊँचाई पर स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल **धराली** कस्बे में बाढ़ ने भारी जनहानि की है और अनेक लोगों के लापता होने की आशंका है।

मुख्य बिंदु

- **आकस्मिक बाढ़ आने के कारण:**
  - विशेषज्ञों के अनुसार, धराली गाँव में आई बाढ़ का कारण **बादल फटना** (Cloudburst) नहीं बल्कि ग्लेशियर झील विस्फोट (Glacial Lake Outburst Flood - GLOF) अथवा **हिमनद खंडन** (Glacier Collapse) हो सकता है।
  - भारतीय मौसम विभाग (IMD) के डाटा के अनुसार, आपदा के दौरान क्षेत्र में **न्यूनतम वर्षा** दर्ज की गई, जो सामान्य बादल फटने की स्थिति से कहीं कम थी, जिसके कारण विशेषज्ञों ने ग्लेशियर फटने या GLOF की संभावना जताई, जिसकी पुष्टि उपग्रह चित्रों से होती है, जिसमें धराली के ऊपर महत्त्वपूर्ण ग्लेशियर और हिमनद झीलें दिखाई गई हैं।
- **आपदा जोखिम:**
  - **वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान** के अनुसार, उत्तराखंड में 1,266 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से कई छोटे-बड़े जल निकाय **नीचे बहने वाले क्षेत्रों के लिये गंभीर खतरा** उत्पन्न करते हैं।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने इनमें से **13 झीलों को उच्च जोखिम वाली** तथा **5 को अत्यंत खतरनाक** श्रेणी में रखा है।
  - ऐसी आपदाएँ तब होती हैं जब ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जल संचय अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है; केवल भारी वर्षा से इस प्रकार की **विनाशकारी घटनाएँ संभव नहीं** हो सकतीं।

आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood)

- **परिभाषा:**
  - फ्लैश फ्लड तीव्र वर्षा के दौरान या उसके तुरंत बाद जल स्तर में अचानक वृद्धि है। वे **अत्यधिक स्थानीयकृत और अल्पकालिक घटनाएँ** हैं, जो **सामान्यत: वर्षा के 6 घंटे के भीतर** घटित होती हैं।
- **कारण:**
  - फ्लैश फ्लड मुख्यत: तीव्र वर्षा के कारण होती है, जो **मृदा की अवशोषण क्षमता और जल निकासी प्रणालियों** को प्रभावित करती है।
  - अत्यधिक वर्षा के अतिरिक्त, अचानक तापमान वृद्धि, बाँध या तटबंधों के टूटने, हिम या मलबे के जाम होने तथा हिमनद झीलों के अचानक फटने के कारण तेज़ी से हिम विगलन से भी फ्लैश फ्लड आ सकती है।

The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

  - इसके अतिरिक्त, सड़कों और इमारतों जैसी अभेद्य सतहों वाले शहरीकरण से अपवाह बढ़ता है, जल अवशोषण कम होता है तथा बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

ग्लेशियल झील विस्फोट (GLOF)

- **परिचय:**
  - GLOF एक प्रकार की **विनाशकारी बाढ़** है, जो तब होती है जब किसी **ग्लेशियर झील को रोकने वाला प्राकृतिक बाँध टूट जाता है** और बड़ी मात्रा में जल एकाएक बाहर निकलता है।
  - इस प्रकार की बाढ़ सामान्यत: **ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने**, **भारी वर्षा** अथवा **पिघले पानी के प्रवाह से झील में जल के जमाव** के कारण होती है।
    - **फरवरी 2021** में उत्तराखंड के **चमोली ज़िले** में आकस्मिक बाढ़ आई थी, जिसके बारे में संदेह है कि यह GLOF के कारण हुई थी।
- **कारण**
  - ये बाढ़ कई कारकों से उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें **ग्लेशियर के आयतन में परिवर्तन**, **झील के जलस्तर में बदलाव** तथा **भूकंप** शामिल हैं।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश भागों में जलवायु परिवर्तन के कारण **हिमनदों के पीछे हटने** से कई **नई हिमनद झीलों** का निर्माण हुआ है, जो **GLOF का प्रमुख कारण** हैं।

उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने **उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025** को मंजूरी दे दी है, जिसमें **बलपूर्वक, धोखाधड़ी या जबरदस्ती से** धर्म-परिवर्तन के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

- नए संशोधनों में **आजीवन कारावास, भारी जुर्माना** तथा **अवैध धर्मांतरण** के पीड़ितों की सुरक्षा के लिये विस्तृत प्रावधान शामिल किये गए हैं।

मुख्य बिंदु

विधेयक के बारे में:

- **कठोर दंड प्रावधान:**
  - संशोधित विधेयक में बलपूर्वक धर्मांतरण के गंभीर मामलों में **आजीवन कारावास** और **10 लाख रुपए** तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।
  - सामान्य अपराधों के लिये 3 से 10 वर्ष का कारावास, जबकि **नाबालिगों या महिलाओं** जैसे संवेदनशील वर्गों से जुड़े मामलों में 5 से 14 वर्ष का कारावास का प्रावधान है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार:**
  - यह विधेयक सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और अन्य ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देने को अपराध घोषित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रलोभन की विस्तारित परिभाषा:**
  - विधेयक में "प्रलोभन" की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है, जिसमें अब उपहार, नकदी, सामान, रोज़गार प्रस्ताव, विवाह का वादा या किसी अन्य धर्म को नकारात्मक रूप से चित्रित करना शामिल है।
- **पीड़ितों की सुरक्षा:**
  - विधेयक में पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास, चिकित्सा देखभाल और यात्रा के लिये वित्तीय सहायता, साथ ही बलपूर्वक धर्मांतरण के पीड़ितों के लिये कानूनी सहायता के प्रावधान शामिल हैं।
- **विवाह और झूठी पहचान:**
  - यह झूठे बहाने से विवाह करने को अपराध मानता है, जहाँ कोई व्यक्ति अपना धर्म छुपाता है।
  - इसके लिये 3 से 10 वर्ष की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- **संपत्ति ज़ब्ती और वारंट:**
  - अधिकारियों को अवैध धर्मांतरण के माध्यम से अर्जित **संपत्ति को ज़ब्त** करने का अधिकार होगा। इन मामलों **(संज्ञेय अपराध)** में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकेगी और ज़मानत केवल तभी दी जाएगी जब अभियुक्त दोषी न पाया जाए या उसके द्वारा अपराध दोहराने की संभावना न हो।

ऑपरेशन कालनेमि

उत्तराखंड की "**ऑपरेशन कालनेमी**" पहल, जिसका उद्देश्य जनता को ठगने वाले **फर्जी साधुओं** पर कार्रवाई करना है, को राज्य सरकार के नए निर्देशों से और सशक्त किया गया है।

- अब धार्मिक व्यक्ति का वेश धारण करने वालों को पर केवल हिरासत ही नहीं, बल्कि **आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तारी** की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- **सख्त कानूनी कार्रवाई:**
  - नए दिशानिर्देशों के तहत पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि फर्जी साधुओं पर विभिन्न प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किये जाएँ। जैसे, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज **(आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम**, 1954, **भारतीय न्याय संहिता, 2023**, (फर्जी पहचान पत्रों के लिये), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (साइबर धोखाधड़ी और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिये) तथा **विदेशी नागरिक अधिनियम,** 1946,(फर्जी दस्तावेज़ों पर रह रहे विदेशी नागरिकों के लिये)।
- **जागरूकता अभियान:**
  - नागरिकों को नकली साधुओं के खतरों और उनसे जुड़े अपराधों से बचाने हेतु सरकार ने सोशल मीडिया सहित व्यापक **जन-जागरूकता अभियान** शुरू किया है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने **कांवड़ यात्रा** से पहले ही **ऑपरेशन कालनेमि** की शुरुआत की थी, ताकि धार्मिक पहचान का दुरुपयोग करने वाले फर्जी साधुओं पर अंकुश लगाया जा सके।
  - हिंदू पौराणिक कथाओं के **राक्षस कालनेमि** से प्रेरित यह अभियान सनातन धर्म **की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने** के लिये चलाया जा रहा है।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME